अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ – 226 001
ई मेल–mduppcl12@gmail.com
☎ : 0522–2288377 (O)
(फैक्स) : 0522–2288410

पत्रांक संख्या :496 मु0अभि0 (वा0एवं ऊ0ले0)/रेड इकाई/शासन, दिनांक : 09/08/2018

प्रमुख सचिव (ऊर्जा),
बापू भवन,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

विषय :– विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आर्थिक रुप से निर्बल वर्ग के लोगों के विद्युत चोरी करते पकड़े जाने पर उनके लिए शमन शुल्क की धनराशि में कमी किये जाने हेतु आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत विद्युत चोरी के अपराध के प्रशमन की वर्तमान दरें एवं नियमावली निम्नवत् है :–

"धारा–152 अपराधों का प्रशमन.–(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, समुचित सरकार या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी उपभोक्ता या व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय विद्युत की चोरी का अपराध किया है या जिसके द्वारा किये जाने का समुचित रूप से सन्देह है, अपराध के प्रशमन के रूप में नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट धनराशि स्वीकार कर सकेगा :–

सारणी :

सेवा की प्रकृति		वह दर, जिस पर प्रशमन के लिये धनराशि निम्न विभव (एल0टी0) प्रदाय के लिये प्रति किलोवाट/ अश्वशक्ति या उसके भाग और उच्च विभव (एच0टी0) के लिये संविदा की गई मांग के प्रति किलोवाट एम्पीयर/अश्वशक्ति (के0वी0ए0) पर संगृहीत की जाएगी।
	(1)	(2)
1.	औद्योगिक सेवा	बीस हजार रूपये
2.	वाणिज्यिक सेवा	दस हजार रूपये
3.	कृषिक सेवा	दो हजार रूपये
4.	अन्य सेवायें	चार हजार रूपये

"

इसी धारा में यह भी प्राविधान है कि :–

"परन्तु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट दरों को संशोधित कर सकेगी"

ज्ञातव्य हो कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभाग द्वारा की जा रही मास रेड की कार्यवाही, पुलिस प्रवर्तन दल एवं विभागीय टीमों द्वारा की की जा रही प्रवर्तन की कार्यवाही में कतिपय आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के लोग भी कटिया के द्वारा विद्युत का प्रयोग करते हुये पकड़े जाते हैं, और उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी जाती है। शमन शुल्क की धनराशि अधिक होने के कारण गरीब व्यक्ति इसका भुगतान कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं एवं नियमित विद्युत संयोजन प्राप्त कर विभाग के बिलिंग नेटवर्क में शामिल नहीं हो पाते हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत यह उचित होगा कि 01 किलोवाट भार की घरेलू एवं वाणिज्यिक उपयोग हेतु विद्युत चोरी करते पाये गये व्यक्तियों से शमन की शुल्क की वर्तमान दर क्रमशः रू0 4000/– एवं रू0 10000/– से घटाकर क्रमशः रू0 2000/– एवं रू0 5000/– कर दी जाय। जिसके लिये विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 में दी गयी शमन–शुल्क की तालिका को निम्नवत् संशोधित कर दिया जाय :–

सारणी :

	सेवा की प्रकृति	वह दर, जिस पर प्रशमन के लिये धनराशि निम्न विभव (एल0टी0) प्रदाय के लिये प्रति किलोवाट/अश्वशक्ति या उसके भाग और उच्च विभव (एच0टी0) के लिये संविदा की गई मांग के प्रति किलोवाटएम्पीयर/अश्वशक्ति (के0वी0ए0) पर संगृहीत की जाएगी।
1.	औद्योगिक सेवा	बीस हजार रूपये
2.	वाणिज्यिक सेवा 1 किलो वॉट भार तक 1 किलो वॉट भार से अधिक पर	पॉच हजार रूपये दस हजार रूपये
3.	कृषिक सेवा	दो हजार रूपये
4.	अन्य सेवायें 1 किलो वॉट भार तक 1 किलो वॉट भार से अधिक पर	दो हजार रूपये चार हजार रूपये

उपर्युक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, उ0प्र0 सरकार के स्तर से राजपत्र में आर्थिक वर्ग के लोगों के विद्युत चोरी करते पकड़े जाने पर उनके लिए, विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 में प्राविधानित शमन शुल्क की धनराशि को उपर्युक्त तालिकानुसार पुनर्निधारित करने के सम्बन्ध में तद्विषयक अधिसूचना प्रख्यापित कराने हेतु अपने स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

सलंग्नकः–यथोपरि।

भवदीया,

Aparna. U.

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

Provided that no order of such cancellation shall be made without giving such person an opportunity of being heard.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, "licensing authority" means the officer who for the time being in force is issuing or renewing such licence or certificate of competency or permit or such other authorisation.]

151. Cognizance of offences.—No Court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made by Appropriate Government or Appropriate Commission or any of their officer authorised by them or a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector or licensee or the generating company, as the case may be, for this purpose.

[1][Provided that the Court may also take cognizance of an offence punishable under this act upon a report of a police officer filed under Section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

Provided further than a Special Court constituted under Section 153 shall be competent to take cognizance of an offence without the accused being committed to it for trial.]

[2][**151-A. Power of police to investigate.**—For the purposes of investigation of an offence punishable under this Act the police officer shall have all the powers as provided in Chapter XXI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

151-B. Certain offences to be cognizabale and non-bailable.—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) an offence punishable under Sections 135 to 140 or Section 150 shall be cognizable and non-bailable.]

152. Compounding of offences.—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Appropriate Government or any officer authorised by it in this behalf may accept from any consumer or person who committed or who is reasonably suspected of having committed an offence of theft of electricity punishable under this Act, a sum of money by way of compounding of the offence as specified in the Table below :

TABLE

Nature of Service	Rate at which the sum of money for compounding to be collected per Kilowatt (KW)/Horse Power (HP) or part thereof for Low Tension (LT) supply and per Kilo Volt Ampere (KVA) of contracted demand for High Tension (HT)
1	2
1. Industrial Service	twenty thousand rupees;
2. Commercial Service	ten thousand rupees;
3. Agricultural Service	two thousand rupees;
4. Other Services	four thousand rupees:

1. Ins. by Act No. 26 of 2007, Section 15 (w.e.f. 15.6.2007).
2. Ins. by Act No. 26 of 2007, Section 16 (w.e.f. 15.6.2007).

परन्तु यह कि रद्दकरण का ऐसा कोई भी आदेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो उस समय ऐसी अनुज्ञप्ति, सक्षमता के प्रमाण-पत्र या अनुमति पत्र या ऐसे अन्य प्राधिकरण को जारी कर रहा है या नवीनीकरण कर रहा है।]

151. अपराध का संज्ञान.—कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का तब के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा जब यथास्थिति, समुचित सरकार या समुचित आयोग या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी ने इस प्रयोजन के लिये लिखित में परिवाद न किया हो।

[1][परन्तु यह कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 173 के अधीन दाखिल की गई पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का न्यायालय संज्ञान भी ले सकेगा :

परन्तु यह और कि धारा 153 के अधीन गठित विशेष न्यायालय, अभियुक्त को विचारण के लिये उसको सुपुर्द किये बिना किसी अपराध का संज्ञान लेने को सक्षम होगा।]

[2][**151-क. पुलिस की अन्वेषण की शक्ति.**—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिये पुलिस अधिकारी को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के अध्याय बारह में उपलब्ध शक्तियाँ, प्राप्त होंगी।

151-ख. कतिपय अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) में कुछ भी होते हुये, धारा 135 से 140 या धारा 150 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।]

152. अपराधों का प्रशमन.—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, समुचित सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी उपभोक्ता या व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय विद्युत की चोरी का अपराध किया है या जिसके द्वारा किये जाने का समुचित रूप से सन्देह है, अपराध के प्रशमन के रूप में नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट धनराशि स्वीकार कर सकेगा : —

सारणी

सेवा की प्रकृति	वह दर, जिस पर प्रशमन के लिये धनराशि निम्न विभव (एल० टी०) प्रदाय के लिये प्रति किलोवाट/अश्वशक्ति या उसके भाग और उच्च विभव (एच० टी०) के लिये संविदा की गई मांग के प्रति किलोवाट एम्पीयर/अश्वशक्ति (के० वी० ए०) पर संगृहीत की जाएगी।
(1)	(2)
1. औद्योगिक सेवा	बीस हजार रुपये
2. वाणिज्यिक सेवा	दस हजार रुपये
3. कृषिक सेवा	दो हजार रुपये
4. अन्य सेवायें	चार हजार रुपये

1. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2007, धारा 15 द्वारा दिनांक 15-6-2007 से अन्तःस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2007, धारा 16 द्वारा दिनांक 15-6-2007 से अन्तःस्थापित।

Provided that the Appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the rates specified in the Table above.

(2) On payment of the sum of money in accordance with sub-section (1), any person in custody in connection with that offence shall be set at liberty and no proceedings shall be instituted or continued against such consumer or person in any Criminal Court.

(3) The acceptance of the sum of money for compounding an offence in accordance with sub-section (1) by the Appropriate Government or an officer empowered in this behalf shall be deemed to amount to an acquittal within the meaning of Section 300 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(4) The compounding of an offence under sub-section (1) shall be allowed only once for any person or consumer.

PART XV
SPECIAL COURTS

153. Constitution of Special Courts.—(1) The State Government may, for the purposes of providing speedy trial of offences referred to in [1][Sections 135 to 140 and Section 150], by notification in the Official Gazette, constitute as many Special Courts as may be necessary for such area or areas, as may be specified in the notification.

(2) A Special Court shall consist of a single Judge who shall be appointed by the State Government with the concurrence of the High Court.

(3) A person shall not be qualified for appointment as a Judge of a Special Court unless he was, immediately before such appointment, as Additional District and Sessions Judge.

(4) Where the office of the Judge of a Special Court is vacant, or such Judge is absent from the ordinary place of sitting of such Special Court, or he is incapacitated by illness or otherwise for the performance of his duties, any urgent business in the Special Court shall be disposed of—

(*a*) by a Judge, if any, exercising jurisdiction in the Special Court;

(*b*) where there is no such other Judge available, in accordance with the direction of District and Sessions Judge having jurisdiction over the ordinary place of sitting of Special Court, as notified under sub-section (1).

154. Procedure and power of Special Court.—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), every offence punishable under [2][Sections 135 to 140 and Section 150] shall be triable only by the Special Court within whose jurisdiction such offence has been committed.

(2) Where it appears to any Court in the course of any inquiry or trial that an offence punishable under [3][Sections 135 to 140 and Section 150] in respect of any offence that the case is one which is triable by a Special Court constituted

1. Subs. by Act No. 26 of 2007, Section 17 (w.e.f. 15.6.2007).
2. The words and figures, "Sections 135 to 139", subs. by Act No. 26 of 2007, Section 18 (i) (w.e.f. 15.6.2007).
3. The words and figures, "Sections 135 to 139", subs. by Act No. 26 of 2007, Section 18 (i) (w.e.f. 15.6.2007).

परन्तु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट दरों को संशोधित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अनुसार धनराशि कासंदाय कर दिये जाने पर उस अपराध के सम्बन्ध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध किसी दाण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी।

(3) उपधारा (1) के अनुसार किसी अपराध का प्रशमन करने के लिये समुचित सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धनराशि का ग्रहण किया जाना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 300 के अर्थान्तर्गत दोषमुक्ति मानी जाएगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किसी व्यक्ति या उपभोक्ता के लिये एक ही बार अनुज्ञात किया जाएगा।

भाग 15
विशेष न्यायालय

153. विशेष न्यायालयों का गठन.—(1) राज्य सरकार, [1][धारा 135 से 140 तक तथा धारा 150] में निर्दिष्ट अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबन्ध करने के प्रयोजनों के लिये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों का, जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये आवश्यक हों, गठन कर सकेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) कोई विशेष न्यायालय एकल न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, जो उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति तब तक विशेष न्यायालय, न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये अर्हित नहीं होगा, जब तक ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले वह अपर जिला और सेशन न्यायाधीश न हो।

(4) जहां विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त है या ऐसा न्यायाधीश ऐसे विशेष न्यायालय की सामान्य बैठक के स्थान से अनुपस्थित है या वह बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिये असमर्थ हैं तो विशेष न्यायालय का कोई अत्यावश्यक कार्य हो—

(क) विशेष न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायाधीश द्वारा, यदि कोई हो,

(ख) जहां कोई ऐसा अन्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो उपधारा (1) के अधीन यथाअधिसूचित विशेष न्यायालय की बैठक के सामान्य स्थान पर अधिकारिता रखने वाले जिला और सेशन न्यायाधीश के निदेश के अनुसार, निपटाया जाएगा।

154. विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्ति.— (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुये भी [2][धारा 135 से 140 तक तथा धारा 150] के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध केवल ऐसे विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया गया था।

(2) जहां किसी जाँच या विचारण के अनुक्रम में, किसी न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि [3][धारा 135 से 140 तक तथा धारा 150] के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी ऐसे अपराध की बाबत ऐसा मामला है जो ऐसे क्षेत्र में उद्भूत हुआ है जिसके लिये इस

1. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2007, धारा 17 द्वारा दिनांक 15-6-2007 से प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2007, धारा 18 (i) द्वारा दिनांक 15-6-2007 से प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2007, धारा 18 (i) द्वारा दिनांक 15-6-2007 से प्रतिस्थापित।